


उपखण्ड अधिकारी, मांडल

16.8/24

पजावली पेश डुर, वकील सार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन वाड गामिल होकर प्राप्त हुए जिले शाप पठ किये गये। विपक्षीगण को छितकी व्यव क्रक क्रक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील सार्थी का प्रापकस्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र उसी दिनांक जाकर शाप पठ दिया गया। पजावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा